e-newsletter
issue XIV - XV 2015

Local Self Government Department

CMAR

City Managers' Association Rajasthan

Promoting excellence in city management ...

CMAR

e-Newsletter Issue XIV—XV 2015

Editor - in Chief : **Shri Purushottam Biyani (IAS)**
(Director cum Joint Secretary, LSGD, GoR)

Editorial Team & Compilation : **Dr. Himani Tiwari**
(Coordinator, CMAR)
Mr. Sharawan Kumar Sejoo
(Research Assistant, CMAR)

Digital Typesetting : **Mr. Arjun Pal**
(IT Expert, CMAR)

CMAR Team : **Mr. Sandeep Nama**
(Research Investigator, CMAR)
Mr. Sitaram Verma
(Assistant, CMAR)

OUR SINCERE THANKS TO

- **Smt. Sanchita Bishnoi (RAS)** (Add. Director, Directorate of Local Bodies, Rajasthan)
- **Smt. Preeti Mathur (RAS)** (Project Director, Directorate of Local Bodies, Rajasthan)
- **Shri Hulas Ray Pawar (R.Ac.S)** (Chief Account Officer, Directorate of Local Bodies, Rajasthan)
- **Smt. Madhu Rathore (R.Ac.S.)** (Sr. Account Officer, Directorate of Local Bodies, Rajasthan)
- **Shri R.K. Vijayvagia** (Sr. Town Planner, Directorate of Local Bodies, Rajasthan)
- **Shri Brijesh Pareek** (PRO, Directorate of Local Bodies, Rajasthan)
- **Shri M.K. Bairwa** (SE, Directorate of Local Bodies, Rajasthan)
- **Shri Bhagwan Singh Rathore** (Team Leader, Swachh Bharat Mission, Rajasthan)
- **Shri Sumit Singh** (Regional Director, AILSG, Jodhpur)
- **Shri D.K. Jindal** (OIC Monitoring, Call Center, Directorate of Local Bodies, Rajasthan)
- **Dr. Sunil Pareek** (Social Development Specialist, RUIFDCO)
- **Shri C.P. Katariya** (Retd. Executive Officer)

For suggestions/feedback please write to:
City Managers' Association Rajasthan, Room. No. 410,
Directorate of Local Bodies, G-3 Rajmahal Residency, Near Civil Lines,
Railway Crossing, Jaipur-302015 | Telefax: 0141-2229966
Web: www.cmar-india.org | Email- cmar.rajasthan@gmail.com

Electronic version of this newsletter is also available on CMAR's website at: http://cmar-india.org/

अनुक्रमणिका

संदेश – प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार

सम्पादकीय – निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार

मुख्यमंत्री द्वारा नगरीय निकाय प्रमुखों एवं अधिकारियों का आमुखीकरण 1

स्मार्ट राज कॉल सेन्टरः
आम जनता की शिकायतों को हल करने का अनूठा प्रयास 3

स्वच्छ भारत मिशन
खुले में शौच से मुक्त की राह में राजस्थान 4

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन 6

अमृत मिशन योजना : शहरी नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने हेतु अटल प्रयास 9

Smart Cities Mission 10

स्मार्टराज प्रोजेक्टः निकायों के कार्यों में पारदर्शिता की पहल 12

ग्लोबल एनवायरमेंट फेसिलिटी (GEF)
Bycycle -6 में जयपुर शहर का चयन 12

स्मार्ट कॉलोनी–स्मार्ट वार्ड की पहल 13

Energy Efficient Street Lighting System " LED Light" in Rajasthan 16

21st Executive Committee Meeting of CMAR 18

Achievements of CMAR under following head

संदेश

मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि 'सिटी मैनेजर्स एसोसिएशन राजस्थान' द्वारा स्थानीय निकायों के कार्यो पर आधारित ई–न्यूज लेटर का 14–15वाँ संयुक्तांक का प्रकाशन किया जा रहा है।

ई–न्यूज लेटर का यह अंक राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के सफल क्रियान्वयन व निकायों द्वारा आम नागरिकों को बेहतर सुविधायें उपलब्ध करवाने में एवं शहरी प्रबन्धकों को सक्षम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा। शहरी क्षेत्रों के नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिये स्थानीय निकायें निरन्तर प्रयत्नशील है तथा राज्य सरकार भी स्थानीय निकायों के आर्थिक उन्नयन व स्वायत्तता के लिए व्यापक कदम उठा रही है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि स्थानीय निकायों के आर्थिक स्वावलम्बन तथा नगरीय दायित्वों के निर्वहन में यह ई–न्यूज लेटर सहायक होगा तथा इसके माध्यम से नागरिकों के कार्य त्वरित गति से निष्पादित होंगे।

मैं ई–न्यूज लेटर के इस अंक के सफल प्रकाशन की शुभकामनाएँ देता हूँ।

डॉ. मनजीत सिंह, (IAS)
प्रमुख शासन सचिव
स्वायत्त शासन विभाग
एवं संरक्षक, सीएमएआर

सम्पादकीय

'सिटी मैनेजर्स एसोसिएशन राजस्थान' द्वारा शहरी निकायों के विकास के लिए सर्वोत्तम प्रक्रियाओं, कार्यो का आलेखन, ई–न्यूज लेटर का प्रकाशन व निकायों के प्रमुख, उपप्रमुख, पार्षदों व अधिकारियों–कर्मचारियों के लिए क्षमता संवर्धन का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर शहरी विकास के लिए सराहनीय प्रयास किये जा रहे है।

सभी नगर निकायों से यह अपेक्षा है कि वें निकायों में होने वाले श्रेष्ठ कार्यों (Best Practices) से प्रेरणा लेवे तथा उन कार्यो को अपने निकाय क्षेत्र में सम्पादित कर आम जन को राहत प्रदान करें, यही सच्ची जन सेवा है।

मुझे विश्वास है कि ई–न्यूज लेटर का यह अंक सभी निकायों के लिये उपयोगी सिद्ध होगा।

पुरूषोत्तम बियाणी, (IAS)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव
स्वायत्त शासन विभाग
एवं कार्यकारी अध्यक्ष सीएमआर

मुख्यमंत्री द्वारा नगरीय निकाय प्रमुखों एवं अधिकारियों का आमुखीकरण

नगरीय निकायों के नव निर्वाचित निकाय प्रमुख व निकायों में पदस्थापित मुख्य नगर पालिक अधिकारियों को विभागीय रीति–नीति व नियमों/अधिनियमों एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी देने व उनके मुख्य कर्तव्यों व अधिकारों से परिचय कराये जाने के उद्देश्य से CMAR द्वारा दो दिवसीय कार्यशाला दिनांक 08 व 09 अक्टूबर, 2015 को इंदिरा गॉधी पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास संस्थान के सभागार में आयोजित की गई।

कार्यशाला में माननीय मंत्री महोदय, प्रमुख शासन सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, अतिरिक्त निदेशक, निदेशक (विधि), मुख्य अभियन्ता, वरिष्ठ नगर नियोजक, मुख्य लेखाधिकारी, परियोजना निदेशक, संयुक्त सचिव, नगरीय विकास विभाग, मुख्य अभियन्ता रूफडिको, प्रबंधक राविल, क्षेत्रीय सलाहकार ब्रिटीश हाई कमीशन, श्री वी. सुरेश, सलाहकार गुड गवर्नेन्स, डॉ. रिपुंजय सिंह प्रोफेसर एच.सी.एम. रीपा, श्री एस.एस. बिस्सा (पूर्व आई.ए.एस.) ने प्रजेन्टेशन व चर्चाओं के माध्यम से विभिन्न परियोजनाओं व नियमों की जानकारी दी।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग श्री पुरूषोत्तम बियाणी (आई.ए.एस.) द्वारा आमुखीकरण के प्रमुख उद्देश्यों, केन्द्र व राज्य सरकार प्रवर्तित योजनाओं, निकायों को आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न बनाये जाने की विधियों व योजनाओं की शेष राशि प्राप्त करने हेतु रिफोर्म्स लागू कर, शतप्रतिशत वसूली सुनिश्चित करने हेतु उत्प्रेरित किया गया।

प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग ने एन.यू.एल.एम., अमृत योजना, सभी के लिये आवास, स्वच्छ भारत मिशन व मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत पूरे राज्य को खुले में शौच मुक्त बनाये जाने, एनर्जी सेविंग प्रोजेक्ट के तहत एल.ई.डी. लाईट लगाने को लक्ष्य दीपावली से पूर्व ही प्राप्त करने का आह्वान किया। उन्होनें परफोरमेन्स ग्रान्ट हेतु रिफोर्म्स जारी करने, लैण्ड बैंक की स्थापना करने और जहाँ नगरीय निकाय की लैण्ड (भूमि) नहीं है, वहाँ जिला कलेक्टर से सम्पर्क कर लैण्ड बैंक अर्जित किये जाने, अवाप्त की जानी है तो अवाप्ति की कार्यवाही शीघ्र करने हेतु प्रेरित किया। प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग द्वारा सभी निकायों के चैयरमैन की मेल–आईडी बनवाने हेतु निदेशालय निर्देश दिये।

माननीय मंत्री नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग ने पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा से नियमानुसार अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन परस्पर सकारात्मक सोच रखते हुए कार्य करने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि निकाय प्रमुख व

मुख्य नगर पालिक अधिकारी जनहित में राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप अधिकाधिक लोगों की जनांकाक्षाओं की यथासमय पूर्ति करे व योजनाओं के आवंटित लक्ष्यों को निर्धारित समय में पूर्ण करे। नागरिकों को संवेदनशीलता, निष्पक्षता व भ्रष्टाचार मुक्त सेवाएँ प्रदान करें। निकायों द्वारा दी जा रही सेवाओं को ऑन–लाईन करें, वाहनों मे जी.पी.एस. सिस्टम लागू करें, सड़को की मरम्मत, प्रकाश व्यवस्था, अल्प आय वर्ग व आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों हेतु आवासीय सुविधा मुहैया करावें। शहरों को कच्ची बस्ती रहित (स्लम–फ्री–सिटी) बनाये, घर–घर कचरा संग्रहण करे, वैण्डर जोन स्थापित कर बाजारों को सुव्यवस्थित करें आदि पर जोर दिया।

खुली चर्चा में नगर पालिका आबूरोड़, आबूपर्वत, कानोड़, सुमेरपुर, विजयनगर, नवलगढ़, चिड़ावा, बीदासर, रतनगढ़, सरवाड़, राजगढ़, (चूरू), पदमपुर व नगर परिषद बूँदी, सवाईमाधोपुर, बाड़मेर के निकाय प्रमुखों द्वारा भूमि आवंटन, रूपान्तरण, नियमन, गौशाला, आवारा पशुओं की रोकथाम, रिक्त पदों पर कार्मिकों के पदस्थापन, अतिरिक्त अनुदान/सहायता दिये जाने, वाहन क्रय करने, वेब साईट बनाये जाने, दोहरा लेखा प्रणाली से सम्बन्धित बिन्दुओं पर चर्चा की गई।

निकायों द्वारा पुछे गये प्रश्नो का समाधान निदेशक व सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा किया गया। कार्यशाला को दूसरे दिन माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा सम्बोधित किया गया जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने निकायों को 14वें वित्त आयोग से उपलब्ध होने वाली राशि से अग्निशमन सेवा के आधुनिकीकरण के प्रस्ताव तैयार कर 15 दिवस में उपलब्ध कराने व इस हेतु आउटसोर्स से पीपीपी मॉडल पर सेवाएं उपलब्ध कराये जाने का आग्रह किया। उन्होनें शहरों के प्रवेश व निकाय द्वारों, मुख्य सड़कों, बाजारों, पार्कों, झीलों व तालाबों तथा पर्यटन व दार्शनिक स्थलों की साफ–सफाई, सौन्दर्यकरण कर 'स्मार्ट सिटी' बनाने पर जोर दिया।

माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने समस्त निकायों में से कार्य के आधार पर निकाय प्रमुख व मुख्य नगर पालिक अधिकारी का अर्जित लक्ष्यों के आधार पर चयन कर उन्हें पुरस्कृत कर प्रोत्साहित किये जाने के निर्देश देते हुए इस हेतु स्वायत्त शासन दिवस विभागीय दिवस अधिधोषित कर, स्वच्छता दिवस पर पुरस्कार समारोह आयोजित किये जाने की घोषणा की।

स्मार्टराज कॉल सेन्टर

आम जनता की शिकायतों को हल करने का अनूठा प्रयास ....

स्वायत्त शासन विभाग कार्यालय में आमजन के लिए स्मार्ट राज कॉल सेन्टर दिनांक 11.05.2015 माननीय मंत्री महोदय श्री राजपाल सिंह शेखावत द्वारा उद्घाटन कर प्रारंभ किया गया है। जिसके टोल फ्री नंबर 1800–180–6127 है जिसमें आईवीआर नं0 2 तत्पश्चात् 1 पर आमजन की कॉल प्राप्त कर उन्हें विभाग के संबंध में चाही गई जानकारियां उपलब्ध कराये जाने के साथ–साथ नगरीय निकायों व विभाग से संबंधित शिकायतें सम्पर्क पोर्टल पर निरंतर दर्ज की जा रही है। 11 मई से 18 नवम्बर, 2015 तक 50506 कॉल प्राप्त हुई एवं 5844 शिकायतें दर्ज की गई, जिसमें से 2840 शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है।

दर्ज शिकायतों को संबंधित निकायों/निदेशालय के अनुभागों को प्रेषित किया जाता है तथा जो शिकायतें अन्य विभागों से संबंधित है, उन्हें संबंधित विभागों में स्थानांतरित किया जाता है। शिकायतों के लम्बित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु कॉल सेन्टर के नोडल अधिकारियों को कॉल कर अवगत/निर्देशित किया जाता है तथा उनसे प्राप्त जवाब को भी निरंतर दर्ज कर दैनिक रिपोर्ट बनाई जाती है।

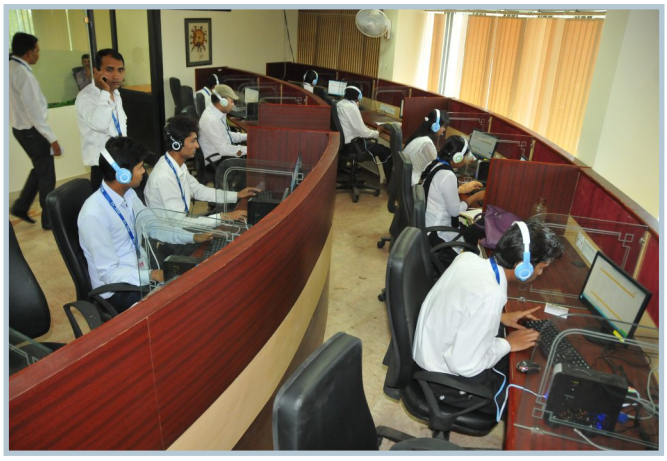

टोल फ्री नंबर 1800–180–6127

स्वच्छ भारत मिशन

खुले में शौच से मुक्त की राह में राजस्थान ....

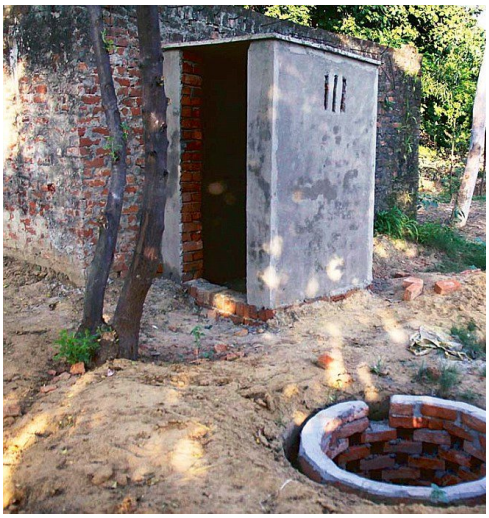

स्वच्छ भारत मिशन माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा चलाया गया भारत सरकार का अत्यन्त महत्वपूर्ण अभियान है जो 02 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की 145 जन्मदिन के अवसर पर भारत सरकार की ओर से अधिकारिक तौर पर शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य 2019 तक भारत को 'खुला शोच मुक्त भारत' घोषित करना है। स्वच्छ भारत मिशन के सफल क्रियान्वन हेतु शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा LSGD, GoR को नोडल विभाग बनाया गया।

भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत (शहरी) के 10 सितम्बर 2014 के दिशा निर्देशों के अनुसार विभाग द्वारा 'स्वच्छ राजस्थान सप्ताह' मनाया गया जो कि 02 अक्टूबर, 2014 को प्रत्येक जिले में जिला कलेक्टर द्वारा स्वच्छता शपथ लिये जाने के साथ सम्पन्न हुआ।

इसी सप्ताह को क्रमशः आगे बढ़ाते हुए ''स्वच्छ राजस्थान अभियान'' चलाया गया जो दिनांक 21 अक्टूबर 2014 को सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। इन अभियानों के दौरान साफ, सफाई, स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया गया और सामुदायिक जागरूकता हेतु प्रभात फेरी, रेली, श्रमदान आदि जैसे कार्य संपादित हुए। तत्पश्चात राज्य की समस्त निकायों द्वारा 08 नवम्बर से 14 नवम्बर तक सफाई अभियान चलाया गया जो बालदिवस पर सम्पन्न हुआ।

स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों की निगरानी हेतु 12 फरवरी 2015 को राज्य स्तर, जिला स्तर व शहरी स्तर पर समितियों का गठन किया गया। राज्य के 187 शहरी निकायों में 9 मार्च से 27 मार्च तक विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया जिसके अंतर्गत शहरों में नालों की सफाई, रोड़ की सफाई, पार्को की सफाई, रोड़ लाइटों का रखरखाव, स्कूलों व राजकीय कार्यालयों की सफाई, शौचालय विहीन परिवारों की पहचान (सर्वे द्वारा) आदि शामिल थे साथ ही शहरी स्तर पर प्रत्येक निकायों द्वारा सामुदायिक जागरूकता हेतु विभिन्न कार्यक्रम जिनमें वार्ड़ सभाऐं, नुक्कड नाटक, अपील, रेली आदि आयोजित की गई जिससे जन समुदाय को स्वच्छत्ता व सफाई आदि के महत्व का पता चल सके व खुले में शौच का स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभावों का भी ज्ञान दिया गया। अगस्त 2015 को स्वच्छ भारत मिशन की गतिविधियों में सहयोग व सभी नगरीय निकाय से संपर्क स्थापित कर स्वच्छ भारत मिशन कार्य को गति देने हेतु राज्य स्तर पर परियोजना प्रबंध इकाई (PMU) का गठन किया गया है।

राज्य स्तर पर प्रत्येक संभाग की स्वच्छ भारत मिशन पर आमुखीकरण कार्यशालाओं का आयोजन सी.एम.ए.आर. द्वारा कराया गया प्रथम चरण (9 April, 16 April, 28 April & 29 April, 2015) द्वितीय चरण में परियोजना प्रबंध इकाई (PMU) तथा सिटी मैनेजर्स एसोसिएशन राजस्थान व CSC के संदर्भ व्यक्तियों द्वारा (26th October to 04th November, 2015) तकनीकी अधिकारियों और कम्प्यूटर ऑपरेटरर्स को स्वच्छ भारत मिशन पोर्टल के सम्बन्ध में जानकारी दी गई। कार्यशाला में स्वच्छ भारत मिशन के प्रत्येक घटक को विस्तार पूर्वक बताया गया और प्रत्येक शहरी निकाय को लक्ष्य बताये गए तथा 2015–16 के और संपूर्ण मिशन अवधि 2019 के बारे में जानकारी दी।

शौचालय विहिन परिवारों को परिभाषित करते हुए बताया गया कि वह परिवार जिनके घर में शौचालय नहीं हो, या बहाओ शौचालय हो या एक गड्ढा (One Pit) शौचालय हो या सीवरेज से नहीं जुड़ा हुआ हो, ऐसे परिवार शौचालय विहिन परिवारों की श्रेणी में आते है। इस हेतु राष्ट्रीय स्तर पर लाभार्थी को राशि 4000/– ₹ व राज्य सरकार की ओर से 4000/– ₹ कुल 8000/– ₹ प्रोत्साहन राशि के तौर पर दी जाएगी जिससे कि वो घरेलू शौचालय बना सके। इसके लिए ऑनलाईन आवेदन पत्र निकाय स्तर पर भरवाये जा रहें है जो कि शहरी निकाय के पासवर्ड एवं लॉगईन आई.डी. द्वारा ही होगा। लाभार्थी का पहचान पत्र/आधार कार्ड, IFSC Code के साथ बैंक खाते की पास बुक प्रथम पृष्ठ व एक पासपोर्ट साईज फोटो स्केन करके अपलोड करने पर लाभार्थी रजिस्टर हो जाएगा। रजिस्टर होने के पश्चात् 7 दिन के अन्तराल में ही उसके आवेदन को सत्यापित (Verify) कराया जाएगा व शौचालय निर्माण हेतु उसे पहली किश्त NEFT के माध्यम से 4000/– ₹ लाभार्थी के खाते में सीधे स्थानांन्तरित कराई जा रही है। 2–3 दिन के अंदर शौचालय निर्मित होने के पश्चात् लाभार्थी की शौचालय के साथ व शौचालय पर SBM के Logo के साथ फोटो द्वारा उसे सत्यापित कर दूसरी किश्त 4000/– भी उसे NEFT द्वारा जारी की जायेगी। स्वच्छता दूत बनाने की भी चर्चा इन कार्यशालाओं में हुई।

विशेष सफाई अभियान के दौरान प्रत्येक नगरीय निकाय द्वारा कार्यो की सूचना दैनिक, साप्ताहिक दी गई। जिला कलेक्टर्स द्वारा कुछ गैर सरकारी संगठन भी चिन्हित किये गए जो स्वच्छता पर सामुदायिक जागरूकता हेतु सक्रिय कार्य कर रहे है।

11 मई, 2015 को पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया जिसमें उत्कृष्ठ कार्य किये जाने वाले निगम, परिषद एवं पालिका व गैर सरकारी संगठन को माननीय स्वायत्त शासन मंत्री श्री राजपाल सिंह शेखावत, प्रमुख शासन सचिव डॉ. मनजीत सिंह व निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव श्री पुरूषोत्तम बियाणी द्वारा सम्मानित किया गया।

विशेष स्वच्छता अभियान के दौरान ही स्वच्छता दूत चिन्हित किये गये। नगर निगम श्रेणी में जोधपुर नगर निगम को 'स्वच्छ रत्न' बेस्ट सिटी घोषित किया गया। उदयपुर व भरतपुर नगर निगम द्वितीय व तृतीय स्थान पर रहे। इसी प्रकार नगर परिषदों में पाली प्रथम, भीलवाड़ा द्वितीय, बांसवाड़ा व झालावाड़ तृतीय स्थान पर रहे। नगर पालिका में प्रतापनगर व मालपुरा प्रथम, तारानगर व भादरा द्वितीय एवं बगरू तृतीय स्थान पर रहे। स्वच्छतादूतों को भी पुरस्कृत किया गया। गैर सरकारी संस्थानों जैसे सीफार, हेल्पिंग हैण्ड, रौटरी क्लब ग्रीन, पुलकित अकादमी, श्रुती फाउण्डेशन आदि को भी जनसहभागिता व सामुदायिक जागरूकता हेतु स्वच्छ भारत मिशन में विशिष्ट प्रयासों के लिए पुरस्कृत किया गया।

विशेष स्वच्छता अभियान के फलस्वरूप गैर सरकारी संस्थान व स्वयं सेवी संस्थानों को एक प्लेटफार्म मिला जिसके तहत सीएमएआर के सहयोग से सीफार द्वारा गैर सरकारी संस्थाओं की आमुखीकरण कार्यशाला प्रमुख शासन सचिव डॉ. मनजीत सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई जिसमें गैर सरकारी संस्थानों की स्वच्छ भारत मिशन पर कार्य/जिम्मेदारी निर्धारित की गई।

सूचना संचार व प्रसार के तहत Social Media का भी उपयोग किया जिसके अन्तर्गत फेसबुक आई.डी. व पेज एवं व्हाट्सऐप ग्रुप बनाया गया जो कि आज सरकार के Portal पर अपना स्थान बनाए हुए है। इस फेसबुक पर विभिन्न शहरी निकाय व गैर सरकारी संस्थान द्वारा राज्य में हो रही स्वच्छ भारत मिशन से सम्बन्धित गतिविधियों का Update रहता है। 25 सितम्बर से 11 अक्टूबर, 2015 तक स्वच्छ भारत मिशन की Anniversary Celebration पर विभिन्न IEC गतिविधियॉ की गई तथा 02 अक्टूबर, 2015 पर विशेष रूप से शपथ व वार्डो में सफाई कार्यक्रम विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा किया गया।

इसी के अंतर्गत विभिन्न शहरी निकायों में स्कूलों एवं कॉलेजों में स्वच्छ भारत मिशन थीम पर निबन्ध लेखन, पोस्टर बनाने व स्लोगन लेखन प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया, जिससे युवाओं में स्वच्छता के प्रति जागरूकता आ सके। विभागीय गतिविधियों से प्रतीत होता है कि स्वच्छ भारत अभियान में राजस्थान का प्रदर्शन बेहतर होगा।

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM)

शहरी गरीब परिवारों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए भारत सरकार द्वारा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) को पुर्नघटित (Restructured) कर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) प्रारम्भ की गई है। इस मिशन में बीपीएल 2003 के कुल चयनित परिवारों की संख्या के 25 प्रतिशत तक की संख्या में अन्य शहरी गरीब परिवारों को लाभान्वित करने का प्रावधान है। अतः इन 25 प्रतिशत परिवारों में स्टेट बीपीएल, अन्त्योदय सूची के परिवार तथा ऐसे गरीब परिवार जिनकी वार्षिक आय एक लाख रू. से कम है, उन्हें भी मिशन द्वारा लाभान्वित किया जा रहा है।

इस मिशन को नगरीय क्षेत्रों में लागू किया गया है। मिशन में शहरी गरीब परिवारों के सदस्यों को प्रशिक्षण, ऋण व अनुदान उपलब्ध कर स्वरोजगार हेतु सक्षम बनाया जाएगा, आश्रय विहिन परिवारों के लिए आश्रय स्थलों का निर्माण करवाकर पांच वर्ष तक का संचालन व्यय मिशन द्वारा वहन किया जायेगा ।

राज्य में कुल 40 शहरों को मिशन में शामिल किया गया है जिनमें सभी जिला मुख्यालयों तथा जिन शहरों की आबादी जनगणना 2011 के अनुसार 1 लाख से अधिक है, इसमें निम्न शहर सम्मिलित हैः– अजमेर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अलवर, बारां, बाड़मेर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बून्दी, चित्तौड़गढ़, चुरू, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुन्झुनुं, करौली, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमन्द, सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक, किशनगढ़, ब्यावर, भिवाड़ी, सुजानगढ़, हिण्डौनसिटी, मकराना व गंगापुरसिटी।

मिशन के प्रमुख घटक (Component)

1. सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास (Social Mobility & Institutional Development)

मिशन में स्वयं सहायता समूह (SHGs) तथा उनके संगठन पर बल दिया गया है मिशन शहरों में प्रत्येक शहरी गरीब परिवार का न्यूनतम एक सदस्य स्वयं सहायता समूह का सदस्य होगा, जिसमें प्राथमिकता महिला वर्ग को दी जाएगी। प्रत्येक वार्ड अथवा बस्ती स्तर पर 10 से 20 स्वयं सहायता समूह मिलकर एरिया लेवल फेडरेशन का गठन करेंगे तथा शहर के सभी क्षेत्रीय फैडरेशनों को मिलाकर सिटी लेवल फैडरेशन का गठन किया जाएगा। दिशा–निर्देशों के अनुसार नगर निगमों मे एक से अधिक सिटी लेवल फैडरेशन का गठन किया जा सकता है।

स्वयं सहायता समूह, एरिया लेवल फैडरेशन व सिटी लेवल आदि के गठन विकास व बैंक लिंकेज तथा इनसे सम्बन्धित गतिविधियों के लिए स्त्रोत संगठनों (Resource Organizations) का सहयोग लिये जाने का प्रावधान है। इसके लिए उन्हें प्रत्येक स्वयं सहायता समूह के लिए RO को अधिकतम 10 हजार रू. तक का भुगतान मिशन फण्ड से किया जाएगा। स्त्रोत संगठनों के लिए स्वायत्त शासन विभाग द्वारा दिशा–निर्देश/आदेश जारी किये जा चुके है तथा संगठन के चयन हेतु प्राप्त आवेदनों में से नगरीय निकाय स्तर पर गठित समिति को अधिकृत किया गया है।

2. शहरी आजीविका केन्द्र (City Livelihood Centre)

प्रत्येक शहर में एक शहरी आजीविका केन्द्र स्थापित किया जाएगा, जहाँ शहरी गरीबों द्वारा अपनी सेवायें देने, उत्पादन बेचने, बैंकिंग व प्रशिक्षण आदि से सम्बन्धित अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवायी जाएगी। प्रत्येक निकाय में न्यूनतम एक केन्द्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। केन्द्र की स्थापना हेतु मिशन से तीन किश्तों में 10 लाख ₹ की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है।

3. स्किल ट्रैनिंग एण्ड प्लेसमेन्ट द्वारा रोजगार

मिशन के इस घटक के तहत शहरी गरीबों के कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण तथा लाभकारी रोजगार में प्लेसमेन्ट कराने का प्रावधान है। योजनान्तर्गत प्रति प्रशिक्षणार्थी अधिकतम ₹ 15,000 व्यय करने का प्रावधान है। योजनान्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले लाभार्थियों में से न्यूनतम 50 प्रतिशत लाभार्थियों का प्लेसमेन्ट/स्वरोजगार हेतु उद्यम स्थापित कराया जाना अनिवार्य है।

इस घटक का क्रियान्वयन राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (RSLDC) के माध्यम से कराया जा रहा है। विकास निगम द्वारा अपने जिला कार्यालयों को शहरी गरीब परिवारों के युवाओं को प्रशिक्षण देने हेतु निर्देश जारी किये गए है। विकास निगम के जिला/निकाय स्तर पर उपलब्ध ट्रेड में प्रशिक्षण प्राप्त करने के इच्छुक शहरी गरीब परिवारों के सदस्यों को नगर निकाय चिन्हित कर उनसे आवेदन तैयार कराकर विकास निगम के स्थानीय कार्यालयों तक उनके आवेदन पत्र तथा युवाओं को पहुंचाना है।

4. स्वः रोजगार कार्यक्रम (Self Employment Program)

मिशन के इस घटक के तहत शहरी गरीबों को व्यक्तिगत रूप से तथा समूह में बैंको के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। जिसके तहत निम्न सुविधाऐं उपलब्ध करायी जा रही हैः–

i. **व्यक्तिगत उद्यम स्थापित करने हेतु ऋण व अनुदानः** शहरी गरीब व्यक्ति को स्वयं का उद्यम स्थापित करने हेतु अधिकतम परियोजना लागत ₹ 2.00 लाख के लिए बैंक ऋण दिया जायेगा तथा इस ऋण पर 7 प्रतिशत से अधिक ब्याज की राशि होने पर अनुदान के रूप में एनयूएलएम से उपलब्ध कराई जायेगी।

ii. **समूह द्वारा उद्यम स्थापित करने हेतु ऋण व अनुदानः** स्वयं सहायता समूह या शहरी गरीबों के न्यूनतम 5 सदस्यों के एक ग्रुप (जिसमें न्यूनतम 70 प्रतिशत शहरी गरीब अनिवार्य है) को स्वरोजगार हेतु उद्यम स्थापित करने के लिए अधिकतम परियोजना लागत रूपये 10.00 लाख के लिए बैंक ऋण उपलब्ध कराया जायेगा तथा इस पर 7 प्रतिशत से अधिक ब्याज की राशि होने पर अनुदान के रूप में मिशन द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।

नगर निकायों द्वारा उक्त दोनों (व्यक्तिगत व समूह में) प्रकार के उद्यम स्थापित कराने हेतु बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए

आवेदन पत्र तैयार कर नगर निकाय स्तर पर गठित टास्क फोर्स से अनुमोदन उपरान्त बैंको को भिजवाये जाने का प्रावधान है।

5. शहरी आश्रयहीन के लिए आश्रय स्थल योजना (स्कीम ऑफ शेल्टर फॉर अरबन होम–लेस)

मिशन के इस घटक के तहत शहरी गरीबों में सबसे गरीब को आश्रय स्थल तथा उससे संबंधित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। यह आश्रय स्थल हमेशा अर्थात् 24 घण्टे सभी 7 दिवस संचालित रहेगा। प्रति 1 लाख की आबादी पर न्यूनतम 100 व्यक्तियों के लिए स्थाई सामुदायिक आश्रय स्थल संचालित किये जाने का प्रावधान है। इस घटक के तहत शैल्टर/सामुदायिक आश्रय स्थल निर्माण हेतु CPWD दर से योजना में राशि देय है, साथ ही इन शैल्टर्स के संचालन का व्यय भी 5 वर्ष तक मिशन से वहन किया जा सकता है।

6. शहरी स्ट्रीट वेण्डर्स को सहयोग (सपोर्ट फॉर अरबन स्ट्रीट वेण्डर्स)

इस घटक के तहत शहर के स्ट्रीट वेण्डर्स का सर्वे, उन्हें पहचान पत्र जारी करना, नो–वेण्डिंग जोन निर्धारित करना तथा स्ट्रीट वेण्डर्स के लिए आवश्यक सुविधाऐं उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।

7. Inovative and Special Projects

मिशन के इस घटक में परियोजना के लिए राज्यांश की आवश्यकता नहीं है। इस घटक के तहत Public Private Community Partnership - PPCP मोड को प्राथमिकता दी जायेगी। स्पेशल प्रोजेक्ट उपरोक्त किसी भी घटक से संबंधित हो सकते है।

शहरी गरीबों की इस महत्वाकांक्षी योजना को गति देने के लिए शहरी निकाय स्तर पर एक नोडल अधिकारी (सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर) नियुक्त किए जाने का प्रावधान है।

अमृत मिशन योजना

शहरी नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने हेतु अटल प्रयास...

अमृत योजना (Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 28 शहरों के ''सिटी लेवल इम्प्रुवमेंट प्लान'' बनाने के लिए दो दिवसीय ''हैण्ड होल्डिंग'' कार्यशाला (10 व 11 अगस्त) का आयोजन स्वायत्त शासन विभाग के सभागार में किया गया।

इस कार्यशाला में स्वायत्त शासन मंत्री श्री राजपाल सिंह शेखावत ने बताया कि अमृत योजना के तहत बनाये जाने वाले ''सिटी लेवल इम्प्रुवमेंट प्लान'' सम्बन्धित शहर के नागरिकों की आवश्यकताओं के अनुरूप ही बनाया जाये। जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्यूवल मिशन में पूर्व में रही कमियों को अमृत योजना (Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation) में नहीं दोहराया जाये। उन्होनें कहा कि शहरों में सीवरेज योजनाओं के प्रारम्भ करने से पूर्व में जारी पेयजल योजनाओं के सशक्तीकरण एवं सेवा स्तर को सुधारते हुए कवरेज (आवृत) क्षेत्र में गेप पूरा किया जाए। उन्होने बताया कि अमृत योजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार यूनिवर्सल कवरेज (पेयजल एवं सीवरेज) को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है। इसलिए इन क्षेत्रों के गेप को पूरा होने पश्चात् ही अन्य क्षेत्रों में शहरी परिवहन एवं स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज को प्रारम्भ किया जाये।

स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव, डॉ. मनजीत सिंह ने बताया कि अमृत योजना में शहरी नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारना एक प्रमुख लक्ष्य है। इसके तहत योजना में सम्मिलित प्रत्येक नगरीय निकाय द्वारा वर्ष में एक उद्यान का विकास किया जाना आवश्यक है। उन्होनें बताया कि अमृत योजना के क्रियान्वयन के लिए परियोजना के तहत एक प्रोजेक्ट डवलपमेंट एण्ड मेनेजमेंट कंसलटेन्ट की नियुक्ति की जायेगी जिसका कार्य शहरों का ''सिटी लेवल सर्विस इम्प्रुवमेंट प्लान'' बनाकर तद्नुसार राज्य की वार्षिक योजना तैयार कर अनुमोदन पश्चात् डीपीआर तैयार करना एवं प्राजेक्ट के क्रियान्वयन का सुपरविजन करना शामिल है।

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निदेशक श्री दिनेश कुमार के साथ विशेषज्ञों के दल ने ''सिटी लेवल इम्प्रुवमेंट प्लान'' (पेयजल सीवरेज शहरी परिवहन स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज एवं उद्यानों) के बनाये जाने के लिए प्रस्तुतीकरण दिया गया। कार्यशाला में निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग श्री पुरूषोत्तम बियाणी, मुख्य अभियंता रूफडिको श्री एस. के. गोयल, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता रूफडिको श्री ललित करोल तथा 28 शहरी निकायों के आयुक्त, अधिशाषी अधिकारी एवं अभियन्ता उपस्थित थे। कार्यशाला का आयोजन RUIFDCO तथा CMAR के संयुक्त तत्वाधान में किया गया।

SMART CITIES MISSION

What is a "Smart City"

In the approach to the Smart Cities Mission, the objective is to promote cities that provide core infrastructure and give a decent quality of life to its citizens, a clean and sustainable environment and application of 'Smart' Solutions. The focus is on sustainable and inclusive development and the idea is to look at compact areas, create a replicable model which will act like a light house to other aspiring cities. The Smart Cities Mission of the Government is a bold, new initiative. It is meant to set example that can be replicated both within and outside the Smart City, catalyzing the creation of similar Smart Cities in various regions and parts of the country.

The core infrastructure elements in a Smart City would include:

- Adequate water supply
- Assured electricity supply
- Sanitation, including solid waste management
- Efficient urban mobility and public transport
- Affordable housing, especially for the urban poor
- Robust IT connectivity and digitalization
- Good governance, especially e-Governance and citizen participation
- Sustainable environment
- Safety and security of citizens, particularly women, children and the elderly.
- Health and education

A. Smart City Features

- Promoting mixed land use in area-based developments
- Housing and inclusiveness-expand housing opportunities for all.
- Creating walkable localities.
- Preserving and developing open spaces
- Promoting a variety of transport options
- Making governance citizen-friendly and cost effective
- Giving an identify to the city
- Applying Smart Solution to infrastructure and services

B. Coverage and Duration

- Mission Duration:- FY-2015-16 to FY 2019-20
- Total Number of cities in India:- 100 (20 cities in FY 2015-16, 40 cities in FY 2016-17 & remaining 60 cities in FY 2017-18)
- Total Number of cities allocated to State:- 4 (Jaipur, Kota, Udaipur & Ajmer)

C. Financing of Smart Cities

- Funds to be provided by GoI for each Smart City per Year:- 100 Crs (Total Rs. 500 Crs.)
- Matching funds to be provided by State + ULB for each Smart City per Year:- 100 Crs. (Total Rs. 500 Crs.)
- Balance funds shall be arranged by State/ULB, own resources through Convergence with Other Government Schemes or through PPP partners.

D. Implementation by Special Purpose Vehicle (SPV)

- SPV has to be formed at city level for implementation of the scheme.

E. Present Status

In order to make the city smart, a State Level High Powered Steering Committee (HPSC) headed by Chief Secretary, Government of Rajasthan and Inter-Departmental Task Force have been constituted as per Mission Statement & Guidelines of Smart Cities Mission and SPV will also be formed at the city level for implementation of the scheme at the earliest. Pr. Secretary, LSGD has been nominated as State Mission Director for implementation of Smart Cities Mission and RUIFDCO has been designated as State Level Nodal Agency for Mission.

Consultations and meetings with elected representatives, stakeholders and various citizens forum have been done at state and city levels. City wise websites have also been created to seek the views and ideas of the citizens/stakeholders. To achieve the goal of the Mission, ULBs concerned have already been directed for maximum using of social and print media to involve the citizens in the preparation of SCP of their city.

The Smart City Proposals (SCP) of all four selected cities namely Jaipur, Udaipur, Kota and Ajmer has been prepared and approved by SHPSC on 7-12-2015 and the same will be forwarded to MoUD, GoI before 15 December, 2015. A sum of Rs. 8.00 Crores (Rs. 2 Crs for each selected cities) has already been released by GoI to state for preparation of SCP.

स्मार्टराज प्रोजेक्ट :
निकायों के कार्यों में पारदर्शिता की पहल ...

स्वायत्त शासन विभाग स्मार्टराज प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश की सभी 187 नगरीय निकायों के माध्यम से नागरिकों के जीवन से मृत्यु तक के समस्त कार्यो को ऑन–लाईन किये जाने हेतु प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश की 187 नगरीय निकायों में तीन चरणों में ''एकल राज्य स्तरीय सॉफ्टवेयर साल्यूशन''(इंटरनेट आधारित) सिस्टम के माध्यम से नगरीय निकाय द्वारा किये जाने वाले कार्यो को ऑनलाईन किया जायेगा साथ ही राज्य स्तरीय स्टेट डाटा सेन्टर (SDC) बनाया जायेगा।

''एकल राज्य स्तरीय सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन''(इंटरनेट आधारित) सिस्टम के माध्यम से नगरीय निकाय द्वारा जिन सेवाओं को ऑनलाईन किया जायेगा उनमें जन्म एवं मृत्यु प्रमाण–पत्र, विवाह प्रमाण–पत्र, भवन स्वीकृती, ऑनलाईन कैश कलेक्शन, बिलिंग और अकाउटिंग, भू–उपयोग परिवर्तन आवेदन, सूचना के अधिकार में आवेदन एवं लोक सेवा गारन्टी के कार्य शामिल है। उक्त सिस्टम के माध्यम से नगरीय निकायों में स्टोर की इनवेट्रीं, एक्यूरल बेस्ड डबल एंट्री अकाउटिंग सिस्टम, लीगल केस, कर्मचारियों के वेतन एंव पे–रोल, लीज बिलिंग, कलेक्शन का कार्य, हाऊस टैक्स बिलिंग कलेक्शन का कार्य, होर्डिंग्स निलामी (ई–आक्शन), भू–निलामी व अन्य कार्य, ठोस कचरा प्रबंधन के डाटा, नगरीय निकाय के वाहनों में व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम, जी.पी.एस. के माध्यम से फाईल ट्रैकिंग सिस्टम ('ए' वर्ग की नगरीय निकायों में) किये जायेगें तथा सभी नगरीय निकायों में वेब पोर्टल भी बनाये जायेगें।

प्रदेश में ''एकल राज्य स्तरीय सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन''(इंटरनेट आधारित) के माध्यम से लागू होने के कारण नगरीय निकायों के सभी कार्यो में पारदर्शिता आयेगी तथा नागरिकों के कार्यो का शीघ्रता से समाधान हो सकेगा तथा निकायों की आय बढ़ेगी व रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा।

ग्लोबल एनवारमेंट फेसिलिटी (GEF) Bycycle-6 में जयपुर शहर का चयन

ग्लोबल एनवायरमेंट फेसिलिटी (जेफ) Bycycle -6 के तहत विश्व के 11 देशों का चयन किया गया है जिसमें ब्राजील, चीन, भारत, मलेशिया, मैक्सिको, पेरागुआ, पेरू, सेनेगल, दक्षिण अफ्रीका, वियतनाम, कोटालोनिया शामिल है। भारत के पांच शहरों का चयन भी इस कार्यक्रम अन्तर्गत किया है जिनमें जयपुर, भोपाल, मैसूर, विजयवाड़ा एवं हन्टूर सम्मिलित है।

ग्लोबल एनवायरमेंट फेसिलिटी (GEF) की स्थापना अक्टूबर 1991 में वर्ल्डबैंक की सहायता से की गई थी। इसका उद्देश्य ग्लोबल एनवायरमेन्ट को सुरक्षित रखना है एवं एनवायरमेन्ट डवलपमेन्ट को बढ़ावा देना है। ग्लोबल एनवायरमेन्ट फेसिलिटी (जेफ) के अब तक पांच Cycle पूरे हो चुके है। वर्तमान में 6वाँ Cycle वर्ष 2014–2018 तक होगा। जिसके तहत देश के 5 शहरों को 3.5 मिलियन यू.एस. डॉलर की सहायता दी जाएगी। इनकी तकनीकी सहयोगी एजेन्सी यूनीप है। ग्लोबल एनवायरमेन्ट फेसिलिटी (जेफ) Cycle-6 में ईको इन्टूरियल पार्क, ईको सिटी डवलपमेन्ट, सतत् ऊर्जा एनर्जी ऐफिशियन्सी, वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट, न्यू एनर्जी व्हीकल, इन्टूरियल वेस्ट, वेस्ट वाटर, सॉलिड वेस्ट आदि प्रोजेक्ट शामिल है।
नगर निगम जयपुर कमिशनर श्री अशुतोष ए.टी. पेडणेकर ने बताया कि ग्लोबल एनवायरमेन्ट फेसिलिटी (जेफ) Cycle-6 के तहत जयपुर शहर द्वारा ठोस कचरा प्रबन्धन के तहत वेस्ट टू एनर्जी का प्रोजेक्ट स्वीकृति के लिए भिजवाया जायेगा। इस पर लगभग 200 करोड़ रूपये व्यय होने का अनुमान है इसकी डीपीआर निगम द्वारा तैयार की गई है। इसके अतिरिक्त नगर निगम द्वारा सांगानेर क्षेत्र में स्थित कपड़े की फेक्ट्रियों द्वारा निकल रहे दूषित पानी की समस्या के समाधान के लिए भी कॉमन ट्रीटमेन्ट प्लान्ट लगाये जाने के लिए प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है।

स्मार्ट कॉलोनी–स्मार्ट वार्ड की पहल

नगरीय प्रशासन में जन भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु मोहल्ला सभा एवं मोहल्ला निगरानी समितियों का गठन...

मोहल्ला सभा की अवधारणा शहरों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जमीनी स्तर तक ले जाकर आम नागरिक की ऊर्जा एवं अनुभव को राष्ट्र एवं समाज के समग्र विकास की प्रक्रिया से जोड़ने का एक अभिनव प्रयास हैं। ''मोहल्ला सभा'' के गठन का उद्देश्य आम नागरिक की रोजमर्रा की जिन्दगी से जुड़े समाजिक मुद्दो को चिन्हित कर समाधान निकालने हेतु एक स्थिर, वैधानिक एवं समावेशी मंच प्रदान करना है। ग्राम सभा की तर्ज पर गठित की जाने वाली मोहल्ला सभा नगर निकाय से मान्यता प्राप्त एक विकेन्द्रित इकाई होगी जो मोहल्ला वासियों को नगर निकाय की निर्णय प्रक्रिया से जोड़ने के लिए एक सशक्त माध्यम का काम करेगी। इन कार्यों में AILSG द्वारा भी सहयोग प्रदान किया जा रहा है। इस क्रम में नगर निगम जोधपुर व AILSG के संयुक्त प्रयास से मोहल्ले के लोगों को जागरूक किया जा रहा है।

मोहल्ला सभा का गठन

ग्राम सभा की तरह मोहल्ले के प्रत्येक मतदाता मोहल्ला सभा का सदस्य होगा। मोहल्ला सभा की साधारण बैठक में आम सहमति के द्वारा मोहल्ला सभा प्रतिनिधि का चयन किया जायेगा। मोहल्ला सभा अपने कार्यो को सुचारू रूप से चलाने हेतु मोहल्ला समिति का गठन भी कर सकेगी।

कार्य :–

- मोहल्ले को स्वच्छ, सुन्दर एवं हरित बनाने हेतु एक कार्य–योजना तैयार करना।
- शहरी प्रबन्धन को सुदृढ़ करने हेतु नगर निकाय द्वारा समय–समय पर चलाये जाने वाले सर्वेक्षणों व अन्य कार्यक्रमों में सहयोग करना।
- मोहल्ला स्तर पर किए जाने वाले विकास कार्यों में आमजन के श्रमदान एंव आर्थिक सहयोग से संसाधन जुटाने हेतु प्रेरित करना।
- नगर निगम द्वारा मोहल्ले में कराये जाने वाले विकास कार्यो की उचित मॉनिटरिंग कर गुणवत्ता सुनिश्चित करना।
- सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के मोहल्ले स्तर पर नियोजन एवं क्रियान्वयन में सक्रिय भागीदारी निभाना।

मोहल्ला निगरानी समिति

अपने मोहल्ले को स्वच्छ सुन्दर एवं हरित बनाने हेतु मोहल्ला निगरानी समिति का गठन किया जायेगा। निगरानी समिति में महिलाओं की संख्या आधे से अधिक होगी।

कार्य :–

- अपने मोहल्ले में सुबह शाम फेरी लगाकर लोगों को अपने आस–पड़ोस में स्वच्छता सुनिश्चित करने हेतु प्रेरित करना।
- मोहल्ला सभा द्वारा तय किये गय घर – घर कचरा संग्रहण के कार्य को सुचारू रूप से संचालित करना।
- मोहल्ले के लिये नगर निकाय द्वारा नियुक्त सफाई अधिकारी से तालमेल कर सड़कों एंव सार्वजनिक स्थानों की सफाई कराना।

- कचरा संग्रहण एवं सफाई से जुड़े वाद–विवाद एवं अनियमितता से जुड़े मामलों को निस्तारित करना एवं मोहल्ला सभा के प्रतिनिधी को रिपोर्ट देना।
- मोहल्ले में मृत जानवरों, टूटी पाईप लाईन, खराब स्ट्रीट लाईट आदि की जानकारी वार्ड कार्यालय को देकर उनका समाधान कराना।
- सार्वजनिक शौचालय व उद्यान आदि सामुदायिक सम्पत्तियों को सुरक्षित रखना।

आदर्श मोहल्ला योजना

जोधपुर नगर निगम में जन सहयोग से शहर के हर मोहल्ले को स्वच्छ, सुन्दर एवं हरित बनाने के लिए आदर्श मोहल्ला योजना की शुरूआत की गई है। इस अभियान के तहत मोहल्ला सभा, निगरानी समिती का गठन कर समयबद्ध तरीके से एक अभियान चलाया जा रहा है।

प्रक्रिया

- नगर निगम के महापौर, आयुक्त व जिला प्रशासन एवं नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी मोहल्ले का भ्रमण कर निवासियों को योजना के बारे में सूचित एवं प्रेरित करेंगे।
- मोहल्ला सभा द्वारा निगरानी समिति का गठन किया जायेगा।
- निगरानी समिति के सदस्य पूरे मोहल्ले का निरीक्षण कर स्वच्छता एवं सौंदर्यकरण हेतु किये जाने वाले कार्यो की सूची बनायेंगे।
- निगरानी समिति चिन्हित किये गए कार्यो को तय समय सीमा में पूरा करने हेतु एक योजना तैयार करेगी।
- इस कार्य – योजना में चिन्हित किये गये कार्यो को तीन श्रेणियों में बांटा जायेगा – श्रमदान, मोहल्लेवासियों के आर्थिक सहयोग से किये जाने वाले एवं नगर निगम के संसाधन से कराये जाने वाले कार्य।
- कार्ययोजना के अनुरूप समय सीमा में सबको साथ लेकर मोहल्ले को स्वच्छ, एवं सुंदर बनाया जाएगा।
- निश्चित समयावधि में योजना की नोडल – एजेंसी द्वारा गठित टीम द्वारा किये जा रहे कार्यो का निरीक्षण किया जायेगा।
- उक्त टीम की संस्तुति पर नगर निगम द्वारा उस मोहल्ले को आदर्श मोहल्ला घोषित किया जाएगा।

आदर्श मोहल्ले हेतु मापदण्ड

मोहल्ला सभा द्वारा चलाये गए विकास कार्यो के नियोजन एवं क्रियान्वयन में जान भागीदारी का स्तर–

- पूरे मोहल्ला क्षेत्र में सुबह, दोपहर और शाम संपूर्ण स्वच्छता सुनिश्चित करना।
- घर–घर कचरा संग्रहण की सेवा मोहल्ले के हर परिवार तक पहुँचाना।
- मोहल्लावासियो द्वारा श्रमदान एवं आर्थिक सहायोग का स्तर।

- सम्पूर्ण अभियान में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी।
- मोहल्लावासियों में आदर्श मोहल्ला योजना के प्रति जागरूकता एवं उत्साह का स्तर।
- मोहल्ला सभा द्वारा किया गया कोई अतिविशिष्ट कार्य जैसे वृक्षरोपण व पेंटिग आदि।
- अभियान को मोहल्ले के परिवेश एवं सामुदायिक जीवन पर प्रभाव।

आदर्श मोहल्ला घोषित किये जाने के लाभ

- जोधपुर नगर निगम, विकास प्राधिकरण एवं अन्य विभागों द्वारा मोहल्लें में लंबित विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण।
- राज्य – जिला स्तर के नामचीन हस्तियों द्वारा मोहल्ले को सम्मानित करना।
- शहर स्तर पर मोहल्ले को प्रचार – प्रसार के माध्यमों द्वारा प्रसिद्धि एवं पहचान।

Energy Efficient Street Lighting System "Led Light" In Rajasthan

Government of Rajasthan has decided to save electrical energy in the field of street lighting hence state Government has signed MoU with Energy Efficiency Services Limited, New Delhi (EESL) on 23rd January, 2015 to implement energy saving project (LED Project) in Rajasthan for all ULBs.

Concept of Project

- Saving of electricity without reducing illumination level on the streets/roads.
- Use of energy efficient street lights (LED) in place of conventional street light - sodium/tube light.
- Reduction in electrical consumption of street light by at least 50%.
- Deduction of electricity bills payments to Discom.

Agreement Term

- The term of agreement will be for 7 years from the date of MoU Signed.

Payment of The Project

- No separate fund required for implementation of the project.
- Cost of the project shall be recovered from the financial savings in the electricity consumption bills amount paid to Discom companies.

VISUAL COMPARISON OF LIGHTING EFFECT

PROJECT IMPLEMENTATION IN RAJATHAN

Total No. of ULBs	**187**
EESL Project Cost of Rajasthan	**Rs. 1500 Crores**
MoU Signed	**134 (On Dated 4/10 Feb, 2015 and 10 April 2015, 12 Aug. 2015 & 11 Sept.2015, 06 Sept., 15 Oct., 05 Nov., 2015**
Remaining No. of ULBs	**53**
LED Project work under progress	**17 ULBs**
LED installed so far	**109970 (EESL-102743+ SMC-7221)**
LED Lights Likely to installed up to Dec.2015	**1.5 Lacs. Points**
Tentative Energy Saving	**60%**
Tentative Payback period of project by EESL	**7 Years**

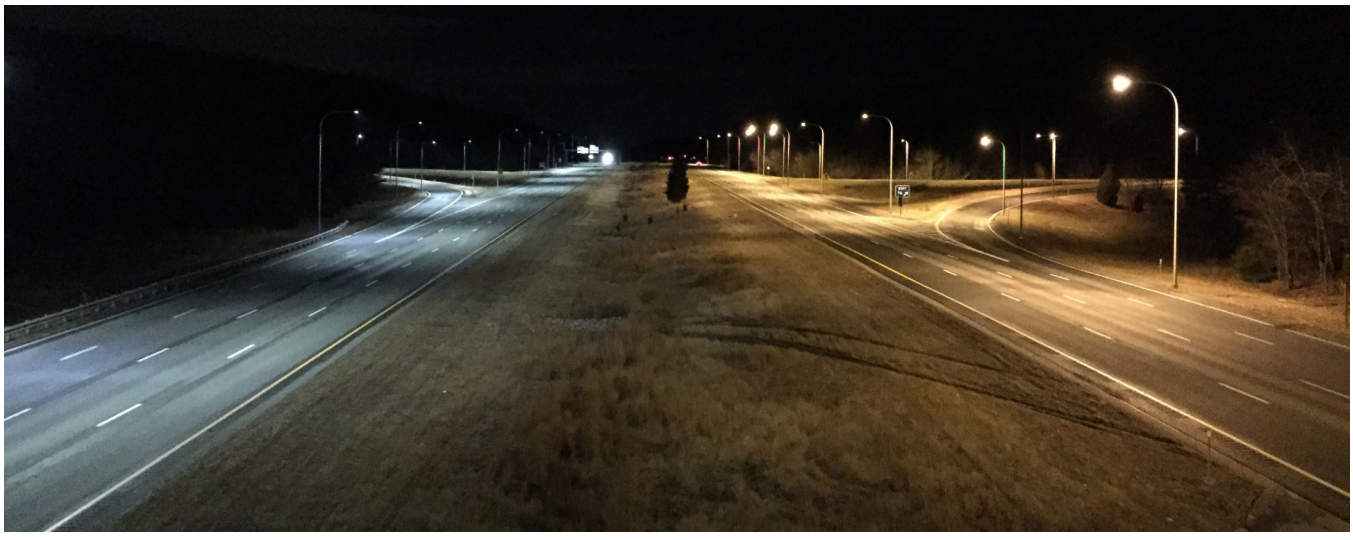

21st EXECUTIVE COMMITTEE MEETING OF CMAR

The 21st Executive Committee Meeting of CMAR was held on 24th September, 2015 in the conference hall of Directorate of Local Bodies, Jaipur. The meeting was chaired by Dr. Manjit Singh, Principal Secretary LSGD, GoR & Patron CMAR. Various issues were discussed in detail, decisions taken in the meeting is as follows:

- Dealing with the IEC activities for ULBs was discussed. It was agreed unanimously that a half yearly action plan of IEC under SBM and NULM for state and city to be prepared separately.
- For the newly elected representatives and Municipal officials an exposure visit is proposed for cross learning and sharing experiences, the sites to be visited include Tamil Nadu for best work on SBM, Pune Municipal Corporation, Gujarat, Surat Municipal Corporation, Tax collection in Banglore etc. Separate teams to be formed under the team leaders from DLB for these exposure visits.
- A capacity Building Cell was proposed comprising of a resource pool of subject experts like HRD, IT, Solid Waste, NULM, Revenue Generation, Disaster Management, E-governance etc and will be coordinated by CMAR as and when required, it was also suggested to put effort in making CMAR as State Resource Centre.
- It was decided to create a library and to depute any retired person as librarian in order to maintain it perfectly. Director, Local Bodies is authorized for the deputation of same.

Achievements Of CMAR Under Following Heads

CAPACITY BUILDING

19th & 20th December, Workshop

13th & 14th February Workshop

08th & 09th October, 2015 Workshop

EVENTS

11th May, 2015 Award Ceremony

18th August, 2015 Swachh Bharat Mission Workshop

WORKSHOPS & SEMINARS

10th & 11th August, 2015 Amrut Workshop

NETWORKING

12th August, 2015 LED Workshop

7 Days Capacity Building
Workshop on SBM portal online 26th Oct., to 2nd Nov., 2015

OUR PARTNER'S

USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

ICMA
International City/Country Management Association

USAEP
United State-Asia Environmental Partnership

NIUA
National Institute of Urban Affairs

CMAR

City Managers' Association Rajasthan, Room. No. 410, Directorate of Local Bodies
G-3 Rajmahal Residency, Near Civil Lines, Railway Crossing, Jaipur - 302015,
Telefax: 0141-2229966, www.cmar-india-org, E mail-cmar.rajasthan@gmail.com

Electronic version of this newsletter is also available on the website at: http://www.cmar-india.org/